अध्याय III

बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की अखंडता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है और यह आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को निधियों के विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक शीर्ष–पाद दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है–

- वित्तीय वर्ष की शुरूआत में वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर उचित विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और जो किसी भी हाल के घटनाक्रम संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो।

- अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।

- बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेन्डर शामिल होता है। इसके साथ जेण्डर, चाइल्ड, कृषि और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण शामिल किये गये हैं।

- इसके बाद वित्त विभाग भारत के नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधानों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के विभिन्न अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी तैयार किया जाता है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को निर्धारित प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिनमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोग की मांगों को भी प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोग की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुर्नविनियोजन/पुनः आबंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2023–24 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश

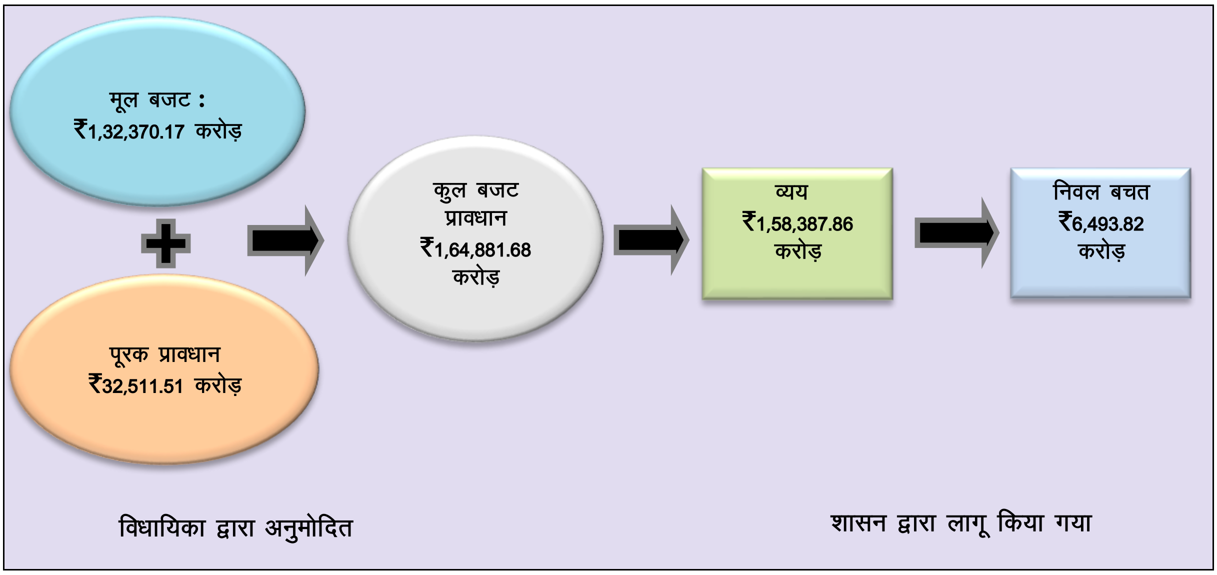

3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य के 2023–24 के बजट के विश्लेषण से केन्द्रीय बजट के विभिन्न प्रमुख घटकों के साथ मजबूत संरेखण को प्रकट करता है, जैसे कि चाइल्ड बजट, जेण्डर बजट, परिणाम बजट, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। छत्तीसगढ़ राज्य भी अलग–अलग बजट दस्तावेज़ प्रकाशित करता है, जैसे कि युवा बजट और कृषि बजट। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए कोई अलग बजट दस्तावेज़ नहीं है क्योंकि अनुदान संख्या 41 और अनुदान संख्या 64 में किए गए प्रावधान इनको आच्छादन करते हैं।

3.3.1 परिणाम बजट

राज्य सरकार ने 2007–2008 में मुख्य बजट के साथ परिणाम बजट को अपनाया और प्रकाशित किया ताकि सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। छत्तीसगढ़ का परिणाम बजट, जबकि वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार के उद्देश्य से है, कई कमियों का सामना कर चुका है।

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाए गए परिणाम बजट प्रारूप में, कुछ विभागों ने कार्य की प्रकृति का उल्लेख किया था बजाय कि उन मापनीय परिणामों और संकेतकों के जो आवंटित धन के परिणाम का आकलन करने के लिए आवश्यक थे। उदाहरण के लिए, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 42 योजनाओं में से 18 में मापनीय परिणामों का उल्लेख नहीं किया (42.86 प्रतिशत)।

3.3.2 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे जेण्डर दृष्टिकोण से तैयार या विश्लेषित किया जाता है ताकि लिंग समानता और महिलाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है – (1) महिला–विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

तालिका 3.1 पिछले पांच वर्षों (2019–24) के दौरान राज्य शासन द्वारा जेण्डर बजट के तहत किए गए आवंटनों के विवरण को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 3.2** उसी अवधि के दौरान कुल बजट और जीएसडीपी के सापेक्ष जेण्डर बजट का प्रतिशत उजागर करता है।

तालिका 3.1: 2019—24 के दौरान जेंडर बजट के तहत आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2019—20	2020—21	2021—22	2022—23	2023—24
जेंडर बजट	15,926	10,646	13,828	14,249	22,968
कुल बजट	1,06,913	1,09,950	1,10,299	1,24,049	1,64,882
जीएसडीपी	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़, संबंधित वर्षों की विनियोग लेखा और जेंडर बजट पुस्तकें

चार्ट 3.2: कुल बजट और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में जेंडर बजट

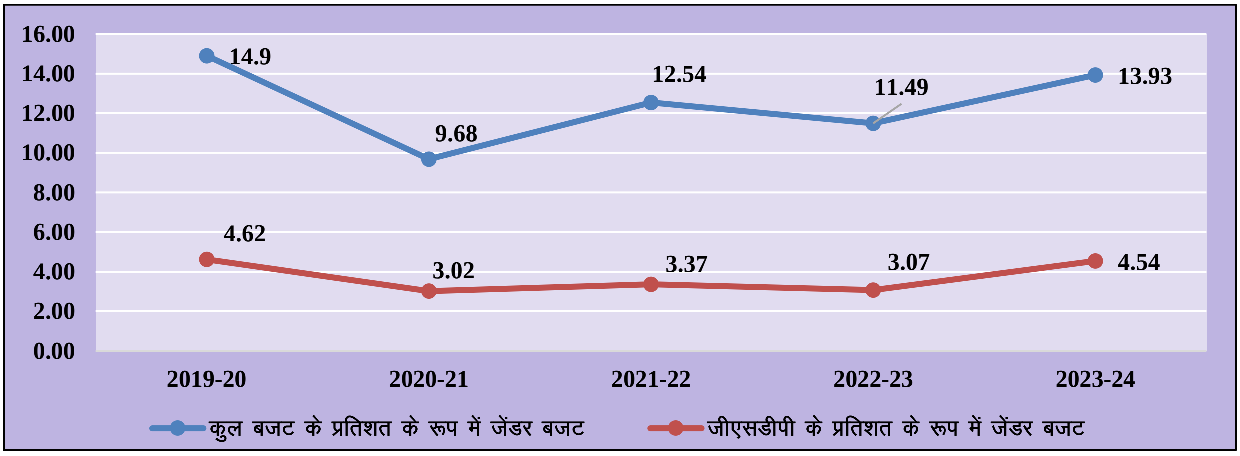

जैसा कि देखा जा सकता है, जेंडर बजट के तहत आवंटन 2019—20 में ₹15,925.78 करोड़ से बढ़कर 2023—24 में ₹22,968.29 करोड़ हो गया। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में, जेंडर बजट का हिस्सा 2019—20 में 14.90 प्रतिशत से घटकर 2023—24 में 13.93 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, जीएसडीपी में इसका हिस्सा भी 2019—20 में 4.62 प्रतिशत से घटकर 2023—24 में 4.54 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2023—24 के दौरान राज्य शासन ने 37 योजनाओं के लिए ₹3,426.58 करोड़ (मूल बजट ₹1,652.55 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹1,774.03 करोड़) प्रावधनित किया जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं के लिए है। कुल बजट ₹3,426.58 करोड़ में से, केवल ₹3,334.15 करोड़ (97.30 प्रतिशत) का व्यय किया गया और शेष ₹92.43 करोड़ (2.70 प्रतिशत) का व्यय नहीं किया गया। विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिखाया गया है जिनमें से चार प्रकरणों में कोई व्यय नहीं हुआ तथा चार प्रकरणों में व्यय बजटीय आवंटन से अधिक था।

वर्ष 2023—24 के दौरान राज्य शासन ने 107 योजनाओं के लिए ₹19,541.71 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था। महिला केन्द्रित योजनाओं पर वास्तविक व्यय की गई राशि का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया गया, जिस कारण लेखापरीक्षा में व्यय सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.3 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) युवा—विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) युवा समर्थक योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

तालिका 3.2 पिछले पांच वर्षों (2019—24) के दौरान राज्य शासन द्वारा युवा बजट के तहत किए गए आवंटनों के विवरण को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 3.3** उसी अवधि के दौरान कुल बजट और जीएसडीपी के सापेक्ष युवा बजट के प्रतिशत को उजागर करता है।

तालिका 3.2: 2019–24 के दौरान युवा बजट के तहत आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
युवा बजट	6,757	6,179	4,331	3,515	6,237
कुल बजट	1,06,913	1,09,950	1,10,299	1,24,049	1,64,882
जीएसडीपी	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़, संबंधित वर्षों की विनियोग लेखा और युवा बजट पुस्तकें

चार्ट 3.3: कुल बजट और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में युवा बजट

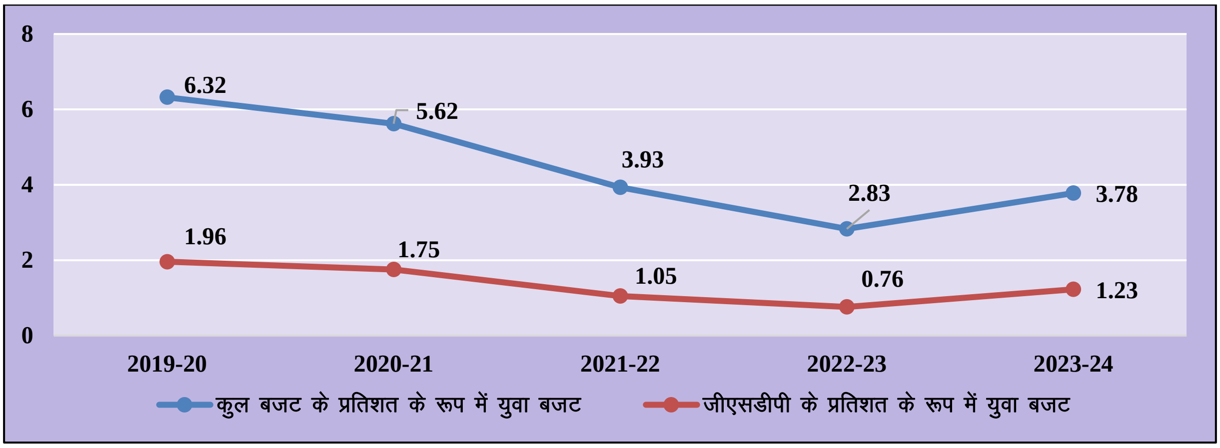

जैसा कि देखा जा सकता है, युवा बजट के तहत आवंटन 2019–20 में ₹6,757.32 करोड़ से घटकर 2023–24 में ₹6,236.97 करोड़ हो गया। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में, युवा बजट का हिस्सा 2019–20 में 6.32 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 3.78 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, इसका हिस्सा जीएसडीपी में भी 2019–20 में 1.96 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 1.23 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन ने 50 योजनाओं के लिए ₹2,766.45 करोड़ (मूल बजट ₹2,454.83 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹311.62 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹2,766.45 करोड़ के कुल बजट में से केवल ₹2,159.31 करोड़ (78.05 प्रतिशत) का व्यय किया गया और ₹607.14 करोड़ (21.95 प्रतिशत) का व्यय नहीं किया गया। विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** मे दिखाया गया है इनमें से पांच प्रकरणों में कोई व्यय नहीं हुआ और दो प्रकरणों में व्यय बजटीय आबंटन से अधिक था।

कुल 56 योजनाओं के लिए ₹3,470.52 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2023–24 के दौरान व्यय किया जाना था। युवा–केन्द्रित योजनाओं पर वास्तविक व्यय की गई राशि का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया गया, जिस कारण लेखापरीक्षा में व्यय सत्यापित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, युवा बजट के तहत कुल 11 योजनाएँ जेंडर बजट के साथ अतिछादन करती हैं, जो कि ₹1,085.81 करोड़ रुपये है।

3.3.4 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ–साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

तालिका 3.3 में पिछले पांच वर्षों (2019–24) के दौरान राज्य शासन द्वारा कृषि बजट के तहत किए गए आवंटनों के विवरण को दर्शाया गया है, जबकि **चार्ट 3.4** उसी अवधि के दौरान कुल बजट और जीएसडीपी के सापेक्ष कृषि बजट के प्रतिशत को उजागर करता है।

तालिका 3.3: 2019–24 के दौरान कृषि बजट के तहत आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
कृषि बजट	24,575	17,976	19,314	23,132	37,476
कुल बजट	1,06,913	1,09,950	1,10,299	1,24,049	1,64,882
जीएसडीपी	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़, संबंधित वर्षों की विनियोग लेखा और जेंडर बजट पुस्तकें

चार्ट 3.4: कुल बजट और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि बजट

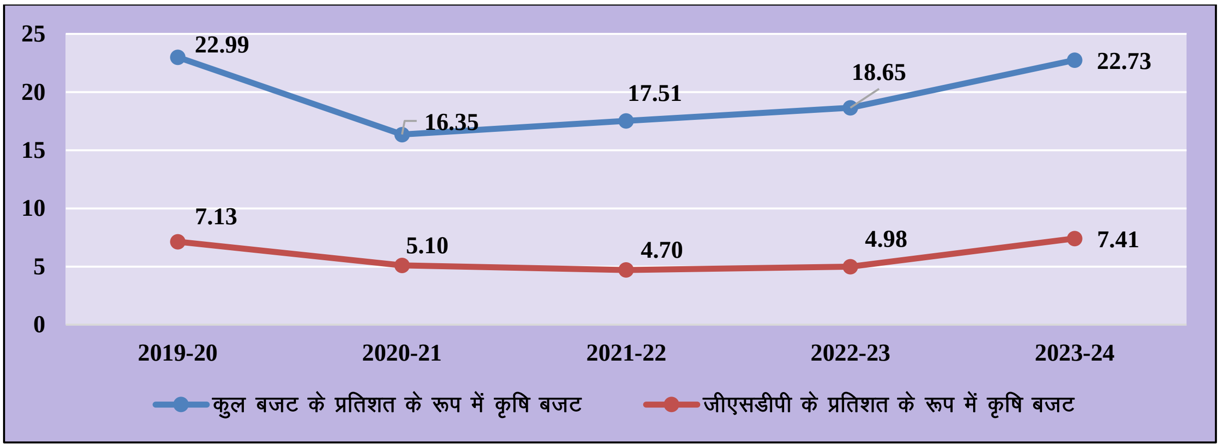

जैसा कि देखा जा सकता है, कृषि बजट के तहत आवंटन 2019–20 में ₹24,574.78 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹37,475.88 करोड़ हो गया। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में, कृषि बजट का हिस्सा 2019–20 में 22.99 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 22.73 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, इसका हिस्सा जीएसडीपी में 2019–20 में 7.13 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 7.41 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य शासन ने 12 विभागों[1] के अंतर्गत 250 कृषि योजनाओं के लिए ₹37,475.88 करोड़ (मूल बजट ₹23,214.78 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹14,261.10 करोड़) का बजट प्रावधान किया। इस कुल बजट में से ₹33,467.77 करोड़ (89.30 प्रतिशत) का व्यय और शेष ₹4,008.11 करोड़ (10.70 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

3.3.5 चाइल्ड बजट

इस बजट का उद्देश्य 0–18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सामाजिक विकास, संरक्षण, ज्ञान प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन ने आठ विभागों[2] के तहत 61 योजनाओं के लिए बजट में ₹13,303.50 करोड़ प्रदान किया। इसमें से ₹6,641.68 करोड़ का बजट 50 योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जो 100 प्रतिशत बाल–केंद्रित हैं। ₹5,557.75 करोड़ (83.68 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष ₹1,083.93 करोड़ (16.32 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

[1] कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ग्रामीण उद्योग विभाग

[2] खेल और युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग

3.3.6 बजट लक्ष्य प्राप्ति

कुल बजट परिणाम

सकल बजट परिव्यय उस सीमा को मापता है जिस तक कुल बजट व्यय परिणाम वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक के संदर्भ में।

तालिका 3.4: समग्र बजट परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल बजट	वास्तविक व्यय[3]	मूल बजट और वास्तविक व्यय के बीच अंतर
राजस्व व्यय	1,04,856.49	1,17,567.38	(–)12,710.89
पूँजीगत व्यय	27,513.68	40,820.48	(–)13,306.80
कुल	**1,32,370.17**	**1,58,387.86**	**(–)26,017.69**

स्रोत : बजट 2023–24 और विनियोग लेखे वर्ष 2023–24

राजस्व व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन (–)12.12 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 20 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, पाँच अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन 48.36 प्रतिशत था। यह 24 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 20 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 21 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम इस बात को मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुर्न आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका 3.5: व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुमोदित	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अंतर मूल अनुमोदित और संशोधित अनुमान के बीच	अंतर वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के बीच
राजस्व व्यय	1,04,856.49	1,29,247.80	1,17,567.38	24,391.31	(–) 11,680.42
पूँजीगत व्यय	27,513.68	30,365.82	40,820.48	2,852.14	10,454.66
कुल	**1,32,370.17**	**1,59,613.62**	**1,58,387.86**	**27,243.45**	**(–) 1,225.76**

स्रोत : विनियोग लेखे 2023–24 और बजट पुस्तकें 2023–25

राजस्व व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में विचलन (–)9.04 प्रतिशत था। यह 42 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। राजस्व अनुभाग के छह अनुदानों

[3] इसमें व्यय के कटौती में समायोजित वसूली शामिल नहीं हैं।

(अनुदान संख्या 42, 57, 68, 75, 76 और एक विनियोग– लोक ऋण) में कोई राजस्व प्रावधान नहीं किया गया था।

पूँजीगत व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 34.43 प्रतिशत था। यह 20 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 24 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 17 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजी अनुभाग के पांच अनुदानों (अनुदान संख्या 22, 35, 49, 50 और एक विनियोग–ब्याज भुगतान) के संबंध में कोई पूँजी प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3.7 नई योजनाएँ/उप–शीर्षक

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अपना बजट प्रस्तुत करते समय राज्य शासन ने ₹14,564.69 करोड़ के आवंटन के साथ कुल 67 नई योजनाएँ/उप–शीर्षक की घोषणा की, हालांकि तीन योजनाओं (7029– उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, 7032– मातृ सम्मान योजना और 7033– शहरी निकायों में स्थित औद्योगिक इकाइयों से संपत्ति कर में छूट) में न तो बजट प्रावधान किया गया और न ही व्यय किया गया। कुल 67 योजनाएँ/उप–शीर्षक में से, विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए 19 योजनाएँ/उप–शीर्षक (एक करोड़ और अधिक) के तहत कुल ₹717.75 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया है जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और जो व्यय संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक हो वह व्यय भारित किया गया है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यय जिस प्रकार किया गया है वह व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2023–24 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति **तालिका 3.6** दर्शायी गई है।

तालिका 3.6: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृत्ति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत (–)	आधिक्य (+)	मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दत्तमत	राजस्व	97,511.50	27,469.72	1,24,981.22	1,10,456.05	–16,180.63 (12.95)	1,655.45 (1.32)	14,723.97 (91.00)
	पूँजीगत	19,505.32	4,784.05	24,289.37	16,139.55	–8,149.82 (33.55)	0.00	7,308.59 (89.68)
	ऋण तथा अग्रिमों	452.05	153.00	605.05	539.33	–65.72 (10.86)	0.00	64.60 (98.30)
	कुल दत्तमत	**1,17,468.87**	**32,406.77**	**1,49,875.64**	**1,27,134.93**	**–24,396.17 (16.28)**	**1,655.45 (1.10)**	**22,097.16 (90.58)**

भारित	राजस्व	7,344.99	80.11	7,425.10	7,111.33	–315.48 (4.25)	1.72 (0.02)	454.52 (114.07)
	पूँजीगत	14.39	24.63	39.02	28.64	–10.37 (26.58)	0.00	18.12 (174.73)
	लोक ऋण	7,541.92	0.00	7,541.92	24,112.96	0.00	16,571.04 (219.72)	89.91
	कुल भारित	**14,901.30**	**104.74**	**15,006.04**	**32,252.93**	**–325.85 (2.17)**	**16,572.76 (110.44)**	**562.55 (172.64)**
कुल योग		**1,32,370.17**	**32,511.51**	**1,64,881.68**	**1,58,387.86**	**–24,722.02 (14.99)**	**18,228.21 (11.06)**	**22,659.71 (91.66)**

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2023–24

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कुल बचत ₹24,722.02 करोड़ (कुल अनुदान/ विनियोग का 14.99 प्रतिशत) थी, जिसमें से ₹22,659.71 करोड़ मार्च 2024 के महीने में समर्पित किए गए।

3.4.2 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप–युक्ततम रहा है, वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे दर्शायी गई है।

चार्ट 3.5: वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान बजट का उपयोग

(₹ करोड़ में)

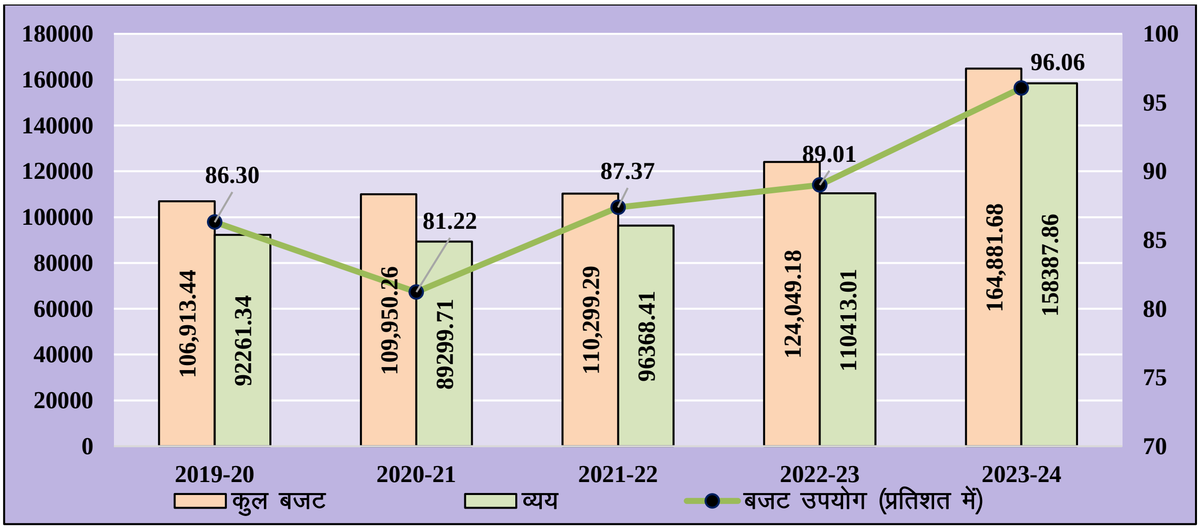

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट के उपयोग का प्रतिशत 2019–20 में 86.30 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 96.06 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, 2022–23 में 89.01 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में कुल बजटीय प्रावधान का 96.06 प्रतिशत हो गया, जो सार्वजनिक ऋण, वेतन, सब्सिडी आदि के व्यय में वृद्धि के कारण हुई थी।

तालिका 3.7: 2019–24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
मूल बजट	95,899.45	1,02,907.42	1,05,212.73	1,12,603.40	1,32,370.17
अनुपूरक बजट	11,013.99	7,042.84	5,086.56	11,445.78	32,511.51
कुल बजट (क)	1,06,913.44	1,09,950.26	1,10,299.29	1,24,049.19	1,64,881.68
संशोधित अनुमान (ख)	1,02,579.99	98,842.36	1,07,239.96	1,21,842.07	1,59,613.62

वास्तविक व्यय (ग)	92,261.33	89,299.70	96,368.41	1,10,413.01	1,58,387.86
निवल बचत (क–ग)	14,652.11	20,650.56	13,930.88	13,636.17	6,493.82
मूल प्रावधान के अनुपूरक का प्रतिशत	*11.48*	*6.84*	*4.83*	*10.16*	*24.56*
समग्र प्रावधान में समग्र बचत/अधिकता का प्रतिशत	*13.70*	*18.78*	*12.63*	*10.99*	*3.94*
क–ख	4,333.45	11,107.90	3,059.33	2,207.11	5,268.06
ख–ग	10,318.66	9,542.66	10,871.55	11,429.06	1,225.76
(क–ख) कुल बजट के % के रूप में	*4.05*	*10.10*	*2.77*	*1.78*	*3.19*
(ख–ग) संशोधित अनुमान के % के रूप में	*10.06*	*9.65*	*10.14*	*9.38*	*0.77*

स्रोत विनियोग लेखे 2023–24 और बजट पुस्तकें 2020–25

उपरोक्त तालिका दिखाती है कि 2023–24 के दौरान ₹32,511.51 करोड़ की अतिरिक्त प्रावधान ने मूल प्रावधान का 24.56 प्रतिशत बनाया, जबकि पिछले वर्ष में यह 10.16 प्रतिशत था और यह आवश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय ने मूल बजट प्रावधानों को पार कर लिया था।

चार्ट 3.6: 2019–24 के दौरान कुल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दिखाने की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

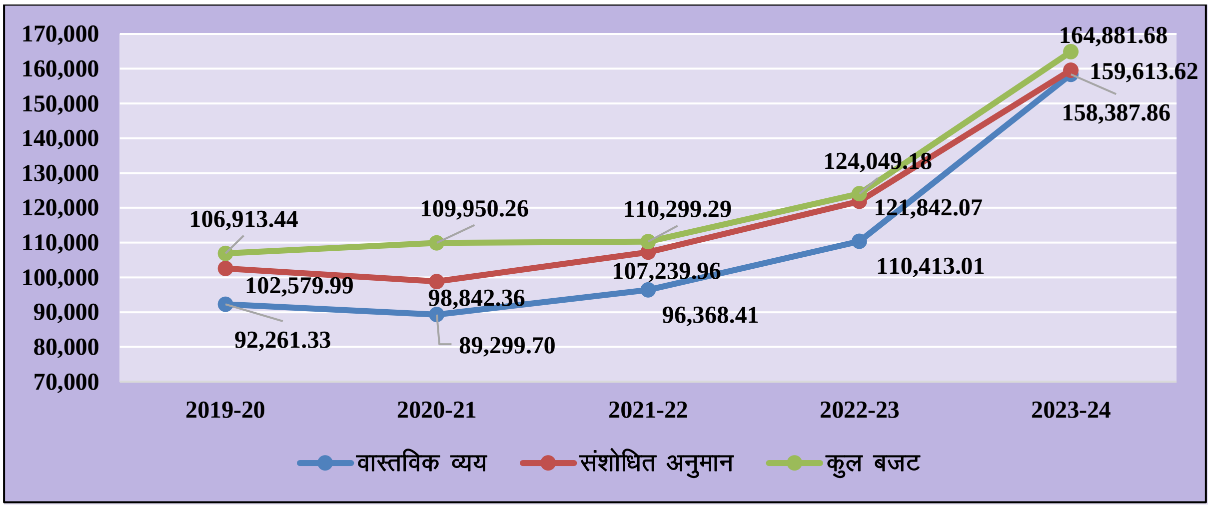

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 तक के वर्षों में, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय हमेशा राज्य के कुल बजट से कम था तथा संशोधित अनुमान और कुल बजट के बीच अनुमान त्रुटि को दर्शाते हुए ₹5,195.17 करोड का औसत अंतर था।

प्रतिशत के संदर्भ में, संशोधित अनुमान वर्ष 2019–20 में कुल बजट की तुलना में 4.05 प्रतिशत कम था जो 2023–24 में घटकर 3.19 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पांच साल की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय भी पूरे समय में संशोधित अनुमान से कम था और 2023–24 में इनके बीच का अंतर प्रतिशत 10.14 प्रतिशत से घटकर 0.77 प्रतिशत हो गया।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियां

3.5.1 राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत शासन लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)–2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय

विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिन उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया हो। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्रकरणों में इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत खंड में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर एक भौतिक और स्थायी चरित्र की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को संपत्ति बनाने के उद्देश्य से सहायता अनुदान पर व्यय, जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा, को आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि छत्तीसगढ़ शासन ने स्थानीय निकायों को पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य वित्त आयोग अनुदान के तहत जारी किए गए ₹1,391.84 करोड़ के अनुदान (जीआईए) को उद्देश्य शीर्ष–45 के तहत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया। उद्देश्य शीर्ष 45 के तहत बुक किए गए जीआईए की गलत वर्गीकरण के अलावा, पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान (₹5.40 करोड़), रखरखाव कार्य (₹4.38 करोड़), स्थानीय निकायों को चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए दिया गया अनुदान (₹44.75 करोड़) और उद्देश्य शीर्ष 28– मशीनरी और उपकरणों की खरीद और 14– अनुदान (₹10 करोड़) के तहत भी पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया। 2019–20 से 2023–24 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार **तालिका 3.8** में दिखाया गया है।

तालिका 3.8: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	1,939.61	1,865.85	2,227.04	2,883.76	1,446.59
कुल पूँजीगत व्यय	8,566.39	9,024.19	10,504.22	13,320.30	15,418.93
पूँजीगत व्यय में सहयता अनुदान के अंश (%)	22.64	20.68	21.20	21.65	9.38

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.7: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का गलत वर्गीकरण

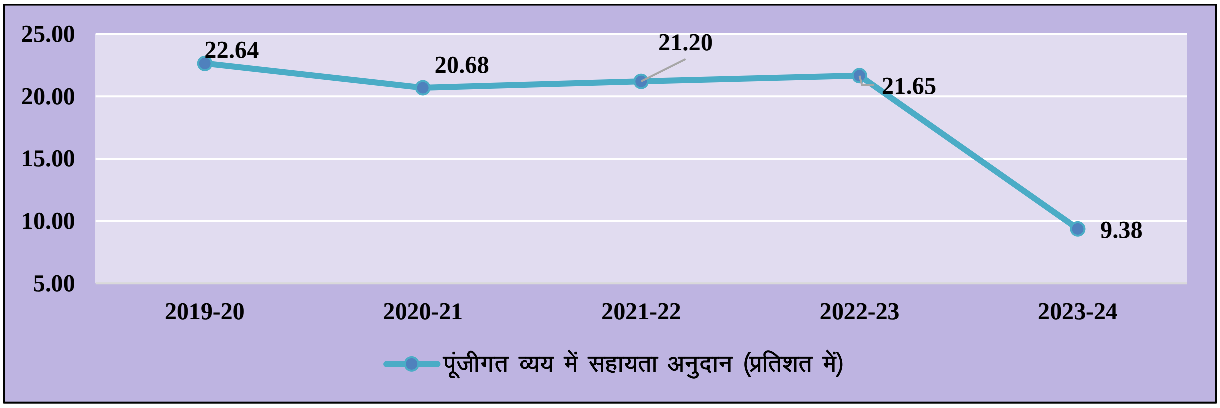

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

3.5.2 पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2023–24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने पूंजी खंड के बजाय राजस्व खंड के तहत ₹38.03 करोड़ का व्यय गलत तरीके से बुक किया, जबकि व्यय मशीनरी और उपकरण तथा मोटर वाहनों की खरीद पर किया गया था। आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटर और वाहनों की खरीद पर ₹11.14 करोड़ और ₹26.89 करोड़ का व्यय क्रमशः उद्देश्य शीर्ष 28– मशीनरी और उपकरण तथा 34– मोटर वाहन के तहत राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये खर्च पूँजी प्रकृति के हैं और इन्हें पूँजी शीर्ष में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

3.5.3 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा ₹32,511.51 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी।

इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 34 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 45 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹4,095.72 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त 34 अनुदानों/विनियोगों आवंटनों में से, कुल 16 अनुदानों और एक विनियोग में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की उल्लेखनीय बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: ऐसे प्रकरण जहाँ मूल बजट प्रावधान से ₹100 करोड़ और अधिक बचत थी फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	
						राशि	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)							
1	3	पुलिस	6,152.11	172.95	5,384.31	–767.80	–12.48
2	10	वन	2,670.90	33.12	2,243.40	–427.50	–16.01
3	11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	439.91	70.60	293.50	–146.41	–33.28
4	19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,103.19	596.63	2,924.12	–179.07	–5.77
5	20	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	340.91	6.00	223.41	–117.50	–34.47
6	23	जल संसाधन विभाग	663.93	3.00	511.47	–152.46	–22.96
7	27	स्कूल शिक्षा	6,759.51	7.14	5,938.98	–820.53	–12.14
8	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक् ता संरक्षण विभाग से संबंधित व् यय	3,024.55	93.33	2,655.86	–368.69	–12.19
9	44	उच्च शिक्षा	915.19	17.27	806.32	–108.87	–11.90
10	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	498.60	176.24	397.96	–100.64	–20.18
11	67	लोक निर्माण – भवन	752.75	34.00	643.59	–109.17	–14.50
12	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,239.39	1.00	905.83	–333.56	–26.91
13	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2,057.59	162.61	1,873.95	–183.64	–8.92
		कुल राजस्व दत्तमत	**28,618.52**	**1,373.89**	**24,802.70**	**–3,815.83**	**–13.33**
राजस्व (भारित)							
14	CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,684.36	78.07	6,471.18	–213.18	–3.19
पूँजीगत (दत्तमत)							

15	23	जल संसाधन विभाग	590.10	5.00	412.65	–177.44	–30.07
16	24	लोक निर्माण–सड़क और पुल	2,153.85	60.00	1,673.26	–480.59	–22.31
17	27	स्कूल शिक्षा	579.47	166.00	334.65	–244.82	–42.25
18	41	जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	3,788.68	1,271.05	3,250.83	–537.85	–14.20
19	42	जनजातीय क्षेत्र उप–योजना सड़कों और पुलों से संबंधित सार्वजनिक कार्य	1,247.70	33.00	858.39	–389.31	–31.20
20	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,053.68	250.00	918.82	–134.86	–12.80
कुल पूँजीगत दत्तमत			**9,413.48**	**1,785.05**	**7,448.60**	**–1,964.88**	**–20.87**
कुल योग			**44,716.36**	**3,237.01**	**38,722.48**	**–5,993.88**	**–13.40**

स्रोत : विनियोग लेखे 2023–24

इसके अतिरिक्त, 48 उप–शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹806.61 करोड़ की राशि के एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5*** में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि योजना स्तर पर धन की आवश्यकता का यथार्थवादी आकलन किए बिना ₹806.61 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान किया गया।

3.5.4 अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुदान में एक इकाई (राजस्व–दत्त, राजस्व–भारित, पूँजी–दत्त, पूँजी–भारित) जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वहाँ धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान चार प्रकरणों में मूल प्रावधानों के विरूद्ध बचत के बावजूद भी पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि बढ़ाई गई, जिसका विवरण **तालिका 3.10** में विस्तृत है। यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के बिना भी पुनर्विनियोजन किया गया।

तालिका 3.10: अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुन–विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	समापक आधिक्य (+) /कमी (–)
27– 2202– 2–109– 704– 7979– समग्र शिक्षा	76.00	0.00	4.57	80.57	66.98	–13.59
41– 2202– 2– 796– 109– 705– 7979– समग्र शिक्षा	57.76	0.00	3.48	61.24	50.90	–10.33
64– 2202– 2– 789– 109– 706– 7979– समग्र शिक्षा	18.24	0.00	1.10	19.34	16.07	–3.26
67– 2059– 80–1– 101– 2418– निष्पादन	402.23	18.00	0.30	420.53	346.06	–74.47
कुल	**554.23**	**18.00**	**9.45**	**581.68**	**480.01**	**–100.95**

स्रोत : विनियोग लेखे 2023–24

3.5.5 योजना शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

₹100 करोड़ और उससे अधिक के अप्रयुक्त बजट प्रावधान के उल्लेखनीय प्रकरण का विवरण नीचे **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	पुनः विनियोजित
11– 2852– 80– 102– 101– 6475– छत्तीसगढ़ औद्योगिक योजना के तहत प्रतिपूर्ति अनुदान	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
13– 2401– 800– 1201– 6353– चिराग योजना	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

19– 2210– 6– 200– 801– 6613– 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00
27– 4202– 1– 201– 1201– 6684– विश्व बैंक परियोजना– चाक	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
27– 4202– 1– 202– 1201– 6684– विश्व बैंक परियोजना– चाक	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00
41– 2210– 6– 796– 200– 802– 6613– 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	135.28	0.00	135.28	0.00	135.28
41– 5054– 4– 796– 337– 702– 7064– पीएम जन मैन सड़कों का निर्माण	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00
66– 2202– 2– 109– 701– 8050– छात्रवृत्ति	220.34	0.00	220.34	0.00	220.34
66– 2202– 2– 109– 704– 8050– छात्रवृत्ति	147.90	0.00	147.90	0.00	147.90
69– 2217– 80– 193– 701– 7706– अमृत मिशन	112.70	0.00	112.70	0.00	112.70
69– 4217– 60– 51– 701– 7706– अमृत मिशन	22.39	144.19	166.58	0.00	166.58
CH2– 2049– 1– 101– 2199– नया बाजार ऋण	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00
कुल	**1,736.61**	**264.19**	**2,000.80**	**0.00**	**2,000.80**

स्रोत : विनियोग लेखे 2023–24

3.5.6 बृहद निवल बचत

कुल निवल बचत ₹6,493.82 करोड़ के मुकाबले, आठ अनुदानों/विनियोगों के तहत ₹465.12 करोड़ की राशि में 10 करोड़ से अधिक की निवल बचत हुई, जो वर्ष के दौरान कुल निवल बचत का 7.16 प्रतिशत है, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में विस्तृत किया गया है।

कुल 71 अनुदानों/विनियोगों में से छह अनुदानों/विनियोगों में आबंटन का 50 प्रतिशत् से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2023–24 में बृहद बचत हुई। वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 तक की पाँच वर्ष की अवधि में इन आठ अनुदानों/विनियोजनों में बजटीय आवंटन का उपयोग **तालिका 3.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं.	अनुदान का नाम	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	वर्षों की संख्या*	बजट 2023–24	कुल बजट (पाँच वर्ष)
		बजट का उपयोग (प्रतिशत)						(₹ करोड़ में)	
1	09– राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	58	24	37	30	35	4	29.25	115.79
2	46– विज्ञान और प्रौद्योगिकी	34	34	36	39	44	5	26.69	128.42
3	57– जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	–	00	00	00	12	4	76.20	185.20
4	68– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक कार्य – भवन	40	36	60	42	28	4	133.62	655.72
5	71– सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	77	37	63	33	36	3	156.65	1,150.46
6	75– नाबार्ड ने जल संसाधन विभाग से संबंधित परियोजनाओं को सहायता प्रदान की	29	25	23	24	33	5	614.71	3,401.29

******50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या*

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट का कम उपयोग बढे हुए बजटीय प्रावधानों का संकेत है। बढे हुए बजट, संसाधन आवंटन, परियोजना नियोजन और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। इसमें शासन द्वारा गहन समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि शीघ्र सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें। अनुदान 46 और 75 में बार–बार कम उपयोग के कारणों की जांच शासन द्वारा की जा सकती है, और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बजटीय प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधनों के आबंटन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.7 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरूद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन प्रकरणों के दिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल तथा अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। विनियोग लेखाओं में उप–शीर्ष/उप–उप–शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस प्रकार के अंतर को किस सीमा से परे स्पष्ट किया जाना है, यह लोक–लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक–लेखा समीति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप–शीर्षों के चयन के लिए लोक–लेखा समिति द्वारा निम्नलिखित मापदंड (अतिरिक्त/बचत) निर्धारित किए गए हैं–

1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी हैः

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।

2. टिप्पणियाँ उन सभी उप–प्रमुखों के लिए बचत (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी हैः

- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।
- उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।

4. टिप्पणियाँ सभी उप–शीर्षों के लिए अतिरिक्त (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 33.15 प्रतिशत प्रकरणों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 3,935 उप–शीर्षों में से 1,490 उप–शीर्षो के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में दर्शाया गया है, तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा 494 उप–शीर्षों में भिन्नता के उचित कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उप–शीर्षों के संबंध में, लेखें में उप–शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप–शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, **चार्ट 3.8** में दिए गए है।

चार्ट 3.8: विनियोग खाते में व्यय में भिन्नता के स्पष्टीकरण का सारांश

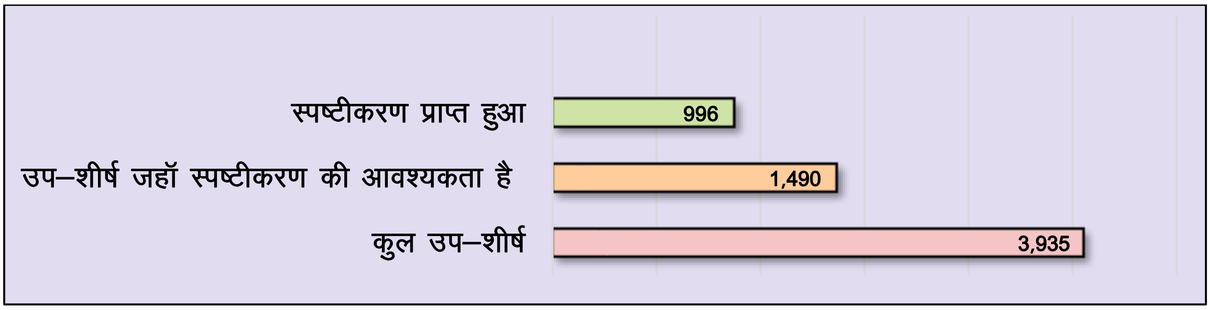

बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.5.8 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ख) के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए अनुदत्त रकम से अधिक कोई धन व्यय किया गया है और उस वर्ष के लिए राज्यपाल उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शाते हुए या राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कार्रवाई को दर्शाते हुए एक अन्य विवरण रखवाएगा इस तरह की अधिकता के लिए। इसलिए, राज्य शासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित करवाए।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹18,228.21 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। यह मुख्य रूप से योजना शीर्ष CH1–6003–112–6471– विशेष निकासी सुविधा के तहत राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान से अधिक की गई विशेष निकासी सुविधा के तहत ₹16,661.01 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के कारण था, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को दिए गए अस्थायी ऋण की भरपाई के लिए विशेष आहरण सुविधा के तहत ट्रेजरी बिलों में निवेश के खिलाफ संपार्श्विक अग्रिम के रूप में था। विवरण नीचे **तालिका 3.13** में दिया गया।

तालिका 3.13: वर्ष 2023–24 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत						
1	वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7,578.60	9,234.05	1,655.45
राजस्व भारित						
2	वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2.20	3.92	1.72
पूँजीगत भारित						
3	–	CH1	लोक ऋण	7,541.92	24,112.96	16,571.04
कुल				**15,122.72**	**33,350.93**	**18,228.21**

स्रोत : विनियोग लेखे 2023–24

वर्ष मे प्रावधान से अधिक व्यय न ही केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु खराब नियोजन का भी संकेत है, जिसे उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति कि निगरानी रखने से बचा जा सकता था।

वर्ष 2000–01 से 2022–23 के लिए प्रावधान की तुलना में ₹21,066.99 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को अभी नियमित नहीं किया गया है, जिसे ***परिशिष्ट 3.8*** में दर्शाया गया है। वर्ष 2013–14 के बाद से अनुदान संख्या 6 (राजस्व मतदान) में लगातार अतिरिक्त व्यय भी देखा गया है। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। राज्य शासन अतिरिक्त व्यय को नियमित न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है। वर्ष 2000–01 से 2022–23 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण **तालिका 3.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: वर्ष 2000–01 से 2022–23 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
1	2000–01	11	2	10.21
2	2001–02	14	2	115.90
3	2002–03	8	2	114.59
4	2003–04	4	2	591.12
5	2004–05	4	5	133.36
6	2005–06	4	2	23.27
7	2006–07	4	1	5.13
8	2007–08	3	3	15.99
9	2008–09	9	1	115.26
10	2009–10	10	5	216.77
11	2010–11	22	6	293.78
12	2011–12	24	1	498.09
13	2012–13	2	2	0.96
14	2013–14	3	3	178.96
15	2014–15	4	2	833.54
16	2015–16	3	2	98.24
17	2016–17	2	3	12.38
18	2017–18	3	3	2.61
19	2018–19	2	4	1.67
20	2019–20	3	4	6,682.69
21	2020–21	2	2	3,432.11
22	2021–22	2	3	4,059.76
23	2022–23	1	2	3,630.60
कुल		**144**	**62**	**21,066.99**

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

विनियोग लेखाओ की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2023–24 के दौरान 13 मुख्य शीर्षों में 11 अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹18,442.01 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.9*** में दिखाया गया है।

3.6 निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में राज्य शासन के बजटीय अनुमानों में सुधार हुआ है। बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत (96.06 प्रतिशत) पिछले वर्ष (89.01 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान बढ़ा है।

₹24,722.02 करोड़ की कुल बचत में से ₹22,659.71 करोड़ की बचत केवल मार्च माह में समर्पित कर दी गई।

वर्ष 2023–24 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोग से संबंधित ₹18,228.21 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य विधानमंडल से नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा, वर्ष 2000–01 से 2022–23 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹21,066.99 करोड़ लंबित हैं।

आबंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दिए गए स्पष्टीकरण अपर्याप्त थे और उनमें कोई सार नहीं था। इसके अलावा, विभागों को न तो निरंतर बचत के प्रति आगाह किया गया था; न ही उनके बजट आवंटन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

3.7 अनुशंसाएं

i. राज्य शासन को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित बचत को समर्पित करना चाहिए ताकि धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

ii. विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर अधिक व्यय विधायिका की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए, वर्ष 2000–01 से 2023–24 की अवधि के दौरान अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त व्यय को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है।

iii. राज्य शासन को चाहिए कि वह स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान को सरकारी लेखा नियमों के अनुसार पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत करे।

iv. विभाग को आबंटनों से किसी भी विचलन के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ताकि स्पष्टीकरण अधिक विशेष्य, पारदर्शी और विश्वसनीय हो सकें।